कार्यालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़।

दिनांकः 30.06.2025

क्रमांकः 5।

:: कार्यालय आदेश ::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुझ डॉ. अजय कुमार बिश्नोई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड़ द्व ारा निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है किः–

माह जुलाई, 2025 में निम्नलिखित सूची के कॉलम संख्या 01 में अंकित राजकीय अवकाशों के दिन कोटपूतली–बहरोड़ जिला न्यायाक्षेत्र के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यो की सुनवाई, जिनमें जमानत, रिमाण्ड ड्यूटी, मृत्युकालिक कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे, के सामने अंकित कॉलम संख्या 02 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी ऐसे प्रकरणों की सुनवाई करेंगें।

समस्त न्यायक्षेत्र जिला कोटपूतली–बहरोड़ हेतु।

दिनांक	नाम न्यायालय	पीठासीन अधिकारी /मो.न.
06.07.2025, मोर्हरम/रविवार	जे.एम नीमराणा।	श्रीमती नितीशा 8901459792
12.07.25, द्वितीय शनिवार	ए.सी.जे.एम. बहरोड़	श्री नकुल अग्रवाल 7221002720
13.07.2025, रविवार	जे.एम. बहरोड़।	श्री देवकरण गुर्जर 9784244927
20.07.2025, रविवार	ए.सी.जे.एम. संख्या 03 बहरोड़।	श्री सुनील कुमार मीणा 9911293133
26.07.2025, चतुर्थ शनिवार	जे.एम बानसूर।	श्रीमती शिखा पुरोहित 8058310678
27.07.2025, रविवार	ए.सी.जे.एम. संख्या 01 बहरोड।	श्रीमति पूर्णिमा यादव 9461911534

30.06.25

डॉ. अजय कुमार बिश्नोई
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली,
जिला कोटपूतली–बहरोड़।

नोट :–

1. माह जुलाई, 2025 के अन्य अवकाशों के दिन में आवश्यक मामलों में उचित आदेश संबधित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक अधिकारी अथवा निकट के किसी न्यायिक अधिकारी के आवास से प्राप्त किए जा सकेंगे।
2. यदि किसी अभियुक्त को रिमाण्ड ड्युटी हेतु नियत मुख्यालय के अतिरिक्त कोटपूतली–बहरोड़ न्यायक्षेत्र में अवस्थित किसी अन्य मुख्यालय (थानाक्षेत्र) के अभियुक्त को पेश किया जाता है तो संबधित अधिकारी रिमाण्ड हेतु मना नहीं करेगे।
3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारीगण के पास विडीयो कांन्फ्रेंसिग से भी रिमाण्ड दिए जाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा जो संबधित न्यायिक अधिकारी के विवेकाधीन होगा और यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय/माननीय जिला एव सेशन

न्यायाधीश महोदय कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड़ द्वारा इस संबंध में पारित आगामी ओदशों के अधीन रहेगा।

4. मुख्यालय पर अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 10 से 1 बजे तक रहेगा एवं ग्रीष्मकालीन न्यायालय में प्रातः 9 से 12 बजे तक रहेगा।

5. उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई अवकाश घोषित हो जाने पर कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड मुख्यालय के लिए घोषित अवकाश के दिन **श्री देवकरण गुर्जर, जे.एम. बहरोड़** उक्त कार्य देखेगें। इसके लिए कोई पृथक आदेश पारित नहीं किया जाऐगा। संबधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी इसका विशेष ध्यान रखें। जिस अधिकारी की रिमाण्ड ड्युटी नियत की गई है वह मुख्यालय पर पदस्थापित रिमाण्ड ड्युटी निष्पादित करेंगें।

6. पीठासीन अधिकारी के नियत रिमाण्ड दिवस पर मुख्यालय से बाहर रहने अथवा अवकाश पर रहने की अवस्था में वे अपने लिंक अधिकारी को सूचित करते हुए उनके स्थान पर लिंक अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड ड्युटी की सहमति प्राप्त कर उसका प्रार्थना पत्र में अंकन करते हुए सुचना इस कार्यालय को भिजवाएगें। माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जिला कोटपूतली बहरोड़ के आदेश स्था./2025/1 दिनांक 06.06.2025 की पालना में ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी। संबधित पीठासीन अधिकारी अपनी रिमाण्ड ड्युटी निरस्त करने बाबत् अनावश्यक पत्र व्यवहार ना कर उक्त प्रकिया को अपनाएगें।

7. विशेष परिस्थितियों में मुल्जिम को निवास स्थान पर पेश करते समय निवास स्थान में प्रवेश ना कराकर बाहर रखा जावे तथा संबधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही करें।

8. तारांकित अवकाश यदि कोई हो तो उसके परिवर्तित होने की स्थिति में अधिकृत अधिकारी ही परिवर्तित अवकाश की तिथि को रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे। संबधित न्यायालय के प्रस्तुतकार, फौजदारी लिपिक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय के अवकाश के दिन आवश्यक रूप से उपस्थित रहेगे।

30.06.25

डॉ. अजय कुमार बिश्नोई
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली,
जिला कोटपूतली–बहरोड़।

क्रमांकः 51 दिनांकः 30.06.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़।
2. समस्त अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जिला कोटपूतली–बहरोड़।**(जरिए ई मेल)**
3. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला कोटपूतली–बहरोड़। **(जरिए ई मेल)**
4. पुलिस अधीक्षक, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़। **(जरिए ई मेल)**
5. समस्त अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला कोटपूतली–बहरोड़।**(जरिए ई मेल)**
6. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला कोटपूतली–बहरोड़।**(जरिए ई मेल)**
7. समस्त अति0 न्यायिक मजिस्ट्रेट , जिला कोटपूतली–बहरोड़।**(जरिए ई मेल)**
8. सहायक निदेशक अभियोजन, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़ को इस लेख के साथ कि संबधित दिनांक को न्यायालय में पी.ओ./ए.पी.ओ. को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।
9. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़। **(जरिए ई मेल)**
10. सिस्टम ऑफिसर, ई–कोर्ट, जिला न्यायालय, कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़।**(जरिए ई मेल)**

30.06.25

डॉ. अजय कुमार बिश्नोई
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली,
जिला कोटपूतली–बहरोड़।